

**बिहार कर्मचारी चयन आयोग**  
**पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14**

**स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली द्वितीय**  
**स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन**

**विज्ञापन संख्या-07070114**

**ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि-01.09.2014 तथा ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि-11.10.2014**

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जायेगी। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा का तथा द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा दो श्रेणी के पदों के लिए आयोजित की जायेगी। श्रेणी-(A) के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त शारीरिक क्षमता जाँच भी होगी। श्रेणी-(B) के पदों पर नियुक्ति के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा शारीरिक क्षमता जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।

**श्रेणी (A) शारीरिक क्षमता जाँच वाले पद :-**

विभागों से प्राप्त रिक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

| क्र० सं० | पद का नाम             | विभाग का नाम                | वेतनमान         | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता             | आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या     |                                  |                                  |                                  |                                 |                | पदों की कुल संख्या |
|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
|          |                       |                             |                 |                                      | अनारक्षित                         | पिछड़ा वर्ग                      | अत्यंत पिछड़ा वर्ग               | अनुसूचित जाति                    | अनुसूचित जनजाति                 | पिछड़े वर्ग की |                    |
| 1        | पुलिस अवर निरीक्षक    | पुलिस महानिदेशक का कार्यालय | 9300-34800+4200 | स्नातक या समकक्ष+शारीरिक क्षमता जाँच | 569 (143 पद महिला के लिए आरक्षित) | 138 (34 पद महिला के लिए आरक्षित) | 206 (60 पद महिला के लिए आरक्षित) | 182 (51 पद महिला के लिए आरक्षित) | 12 (02 पद महिला के लिए आरक्षित) | 33             | 1140               |
| 2        | परिचारी               | पुलिस महानिदेशक का कार्यालय | 9300-34800+4200 | स्नातक या समकक्ष+शारीरिक क्षमता जाँच | 96                                | 25                               | 42                               | 41                               | 2                               | 8              | 214                |
| 3        | पुलिस अवर निरीक्षक    | निगरानी विभाग               | 9300-34800+4200 | स्नातक या समकक्ष+शारीरिक क्षमता जाँच | 5                                 | 2                                | 1                                | 1                                | --                              | --             | 9                  |
| 4        | प्रवर्तन अवर निरीक्षक | परिवहन विभाग                | 9300-34800+4200 | स्नातक या समकक्ष+शारीरिक क्षमता जाँच | 7                                 | 1                                | 2                                | 2                                | --                              | 1              | 13                 |
| 5        | कम्पनी कमांडर         | बिहार गृह रक्षा वाहिनी      | 9300-34800+4200 | स्नातक या समकक्ष+शारीरिक क्षमता जाँच | 32                                | 08                               | 12                               | 10                               | 01                              | 02             | 65                 |
| 6        | फायर स्टेशन ऑफिसर     | गृह आरक्षी विभाग            | 9300-34800+4200 | स्नातक या समकक्ष+शारीरिक क्षमता जाँच | 24                                | 6                                | 8                                | 7                                | 1                               | 2              | 48                 |

|            |                           |                                   |                 |   |            |            |            |            |           |           |             |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 7          | वनों के क्षेत्र पदाधिकारी | पर्यावरण एवं वन विभाग             | 9300-34800-4200 | पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी शास्त्र, सांख्यिकी एवं जन्तु विज्ञान विषयों में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री तथा शारीरिक क्षमता जाँच | 5          | --         | 7          | --         | 1         | 2         | 15          |
| 8          | सहायक कारापाल             | कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय | 5200-20200+2800 | स्नातक या समकक्ष+शारीरिक क्षमता जाँच  | 43         | 13         | 16         | 14         | --        | 3         | 89          |
| <b>कुल</b> |                           |                                   |                 |   | <b>781</b> | <b>193</b> | <b>294</b> | <b>257</b> | <b>17</b> | <b>51</b> | <b>1593</b> |

इन पदों पर नियुक्ति के लिए शारीरिक योग्यता निम्न प्रकार से है:-

**1. पद का नाम:- आरक्षी अवर निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर/फायर स्टेशन ऑफिसर/सहायक कारापाल/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी:**

**शारीरिक योग्यता:-**वैसे पुरुष उम्मीदवार जो एक मील की दौड़ न्यूनतम 6 मिनट के अन्दर पूरा कर सकेंगे, वे निम्न माप एवं जाँच में सम्मिलित होने के हकदार होंगे (वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को छोड़कर):-

| पद का नाम  | कोटि   | न्यूनतम उँचाई | वजन (न्यूनतम) | सीना (न्यूनतम)  |           | लम्बी कूद (न्यूनतम) | उँची कूद (न्यूनतम) | गोला फेंक (न्यूनतम) (16 पाउंड का) |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
|  |  |               |               | बिना फुलाये हुए | फुलाकर    |                     |                    |                                   |
| पुलिस अवर निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, कम्पनी कमाण्डर, फायर स्टेशन ऑफिसर | अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग  | 165 से0मी0    | --            | 81 से0मी0       | 86 से0मी0 | 12 फीट              | 04 फीट             | 16 फीट                            |
|  | महिला (सभी वर्गों के लिए)  | 160 से0मी0    | 48 कि.ग्रा.   | --              | --        | --                  | --                 | --                                |
|  | अनुसूचित जाति/ जनजाति  | 160 से0मी0    | --            | 79 से0मी0       | 84 से0मी0 | 12 फीट              | 04 फीट             | 16 फीट                            |
|  |  |               |               |                 |           |                     |                    |                                   |
| <b>परिचारी</b>   | परिचारी पद के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उँचाई, वजन तथा सीना पुलिस अवर निरीक्षक के समान ही होगा। उनके लिए उँची कूद-4 फीट 6 ईंच, लम्बी कूद-15 फीट तथा गोला फेंक (16 पाउंड)-20 फीट निर्धारित है। |               |               |                 |           |                     |                    |                                   |
| <b>सहायक कारापाल</b>   | सहायक कारापाल के पद के लिए पुलिस अवर निरीक्षक के पद के सदृश ही शारीरिक योग्यता निर्धारित है। उन्हें अलग से बीम-5 पर पुल अप (तीन अवसर) करना होगा।   |               |               |                 |           |                     |                    |                                   |

|                          |                         |                                      |                   |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| वनो के क्षेत्र पदाधिकारी | उंचाई (पुरुष)           | 152.5 से0मी0 (अनु0जनजाति)            | 163 से0मी0 (अन्य) |
|                          | उंचाई (महिला)           | 145 से0मी0 (अनु0जनजाति)              | 150 से0मी0 (अन्य) |
|                          | सीना (बिना फुलाए) पुरुष | 79 से0मी0 (05 से0मी0 सीना फुलाना है) |                   |
|                          | शारीरिक परीक्षण (पुरुष) | 04 घंटा में 25 कि0मी0 पैदल चलन       |                   |
|                          | शारीरिक परीक्षण (महिला) | 04 घंटा में 14 कि0मी0 पैदल चलन       |                   |

उपर्युक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जायेगी ।

आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-0511(आरक्षी अवर निरीक्षक) के द्वारा 223 अभ्यर्थियों, जिनसे आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, में जिन्होंने पूर्व में ससमय आवेदन दिया था, को पुनः मात्र एस0आई0 (पुलिस महानिदेशक कार्यालय) की रिक्तियों में ही मान्यता दी जायेगी । उन्हें ऑनलाईन आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है । अगर ये अभ्यर्थी उक्त के अतिरिक्त किसी दूसरे पद की अर्हता रखते हों तो उन्हें उन पदों के लिए पुनः ऑनलाईन आवेदन समर्पित करना होगा । क्रमांक 01 से 08 तक के पदों के लिए आवेदन समर्पित करनेवाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के समय ही अपनी प्राथमिकता को दर्शाना आवश्यक होगा । अन्य पदों के लिए प्राथमिकता प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल के पश्चात् लिया जायेगा ।

**वनो के क्षेत्र पदाधिकारी** पद के लिए लिखित परीक्षा के पश्चात् 50 अंकों का साक्षात्कार आयोजित की जायेगी । लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेधासूची तैयार की जायेगी । **प्रवर्तन अवर निरीक्षक** के पद पर नियुक्ति हेतु भी लिखित परीक्षा के अतिरिक्त साक्षात्कार आयोजित की जायेगी ।

**कम्पनी कमाण्डर** के पद पर गृह रक्षक (दैनिक वेतनभोगी खिलाड़ी सहित) के पद पर नियुक्ति हेतु उन्ही अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जायेगा (क) जो संगठन में कम से कम पाँच वर्षों की सेवा/ड्यूटी दे चुके हों । (ख) जिन्हे पद के अनुकूल शारीरिक, शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता हो । (ग) जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जायेगा उस तिथि को उनकी कम से कम दस वर्षों की सेवा से शेष हो ।

### उम्र सीमा-

अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2014 के आधार पर की जायेगी ।

न्यूनतम-पुलिस अवर निरीक्षक एवं परिचारी (पुलिस महानिदेशक का कार्यालय):-20 वर्ष ।

शेष सभी पदों के लिए :-21 वर्ष ।

अधिकतम-(1) अनारक्षित-37 वर्ष । (2) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)-40 वर्ष ।(3) अनारक्षित वर्ग की महिला-40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति/जनजाति (पुरुष/महिला)-42 वर्ष के आधार पर की जायेगी ।

वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या-0511 के विरुद्ध अपना आवेदन ससमय समर्पित किया था तथा इसी के सदृश वैसे मामले जिनमें अभ्यर्थियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या-1240-1241/2011 में वादकालीन याचिका (Interlocutory application) दायर किया था, के लिए सिर्फ आरक्षी अवर निरीक्षक के पद के लिए विज्ञापन

संख्या-704 में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.01.2005 के आधार पर की जायेगी ।

**श्रेणी (B) वैसे पद जिन पर नियुक्ति हेतु शारीरिक क्षमता जाँच की आवश्यकता नहीं है :-**

विभागों से प्राप्त रिक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

| क्र० सं० | पद का नाम   | विभाग का नाम   | वेतनमान         | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | तकनीकी योग्यता   | वीछित योग्यता                      | आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या |             |                    |               |                 |                      | पदों की कुल संख्या |
|----------|---|--|-----------------|--------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|
|          |   |  |                 |                          |  |                                    | अनारक्षित                     | पिछड़ा वर्ग | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | पिछड़े वर्ग की महिला |                    |
| 1        | सचिवालय सहायक   | सा०प्र०वि०   | 9300-34800+4600 | स्नातक                   | --   | --                                 | 166                           | 40          | 60                 | 53            | 3               | 10                   | 332                |
| 2        | सहायक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय  | समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय) | 9300-34800+4600 | स्नातक                   | B.Ed. विशेष (नेत्रहीन) एवं न्यूनतम छः माह का कम्प्यूटर सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा  | भारतीय पुनर्वास परिषद से निर्बंधित | 4                             | 1           | 2                  | 1             | --              | --                   | 8                  |
| 3        | सहायक शिक्षक (मैट्रिक प्रशिक्षित) राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय | समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय) | 9300-34800+4200 | स्नातक                   | B.Ed.. विशेष (नेत्रहीन) एवं न्यूनतम छः माह का कम्प्यूटर सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा | भारतीय पुनर्वास परिषद से निर्बंधित | 1                             | --          | --                 | --            | --              | --                   | 1                  |
| 4        | सहायक शिक्षक (मैट्रिक प्रशिक्षित) राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय | समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय) | 9300-34800+4200 | स्नातक                   | B.Ed.. विशेष (नेत्रहीन) एवं न्यूनतम छः माह का कम्प्यूटर सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा | भारतीय पुनर्वास परिषद से निर्बंधित | 1                             | --          | --                 | --            | --              | --                   | 1                  |
| 5        | सहायक शिक्षक (मैट्रिक प्रशिक्षित) राजकीय मूक वधिर मध्य विद्यालय | समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय) | 9300-34800+4200 | स्नातक                   | B.Ed. विशेष (नेत्रहीन) एवं न्यूनतम छः माह का कम्प्यूटर सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा  | भारतीय पुनर्वास परिषद से निर्बंधित | 5                             | 1           | 3                  | 3             | --              | --                   | 12                 |
| 6        | योजना सहायक   | योजना एवं विकास विभाग                                      | 9300-34800+4200 | स्नातक                   | --   | --                                 | 140                           | 33          | 51                 | 44            | 4               | 8                    | 280                |

|    |                         |  |                 |   |    |   |    |    |    |    |    |    |     |
|----|-------------------------|--|-----------------|---|----|---|----|----|----|----|----|----|-----|
| 7  | मलेरिया निरीक्षक        | स्वास्थ्य विभाग  | 9300-34800      | विज्ञान स्नातक  | -- | जीव विज्ञान के साथ स्नातक को प्राथमिकता | 9  | 7  | 20 | 13 | 2  | 4  | 55  |
| 8  | राजभाषा सहायक (उर्दू)   | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय)                | 9300-34800+4200 | उर्दू विषय के साथ बी०ए० की डिग्री या समकक्ष                           | -- | --                                      | 1  | -- | -- | -- | -- | -- | 1   |
| 9  | कनीय सांख्यिकी सहायक    | श्रम संसाधन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) | 9300-34800+4200 | स्नातक, गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय के साथ | -- | --                                      | 3  | 1  | 1  | 1  | -- | 1  | 7   |
| 10 | बाल संरक्षण पदाधिकारी   | समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय)                 | 9300-34800+4200 | स्नातक  | -- | --                                      | 8  | 2  | 5  | 6  | 0  | 1  | 22  |
| 11 | श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी | श्रम संसाधन विभाग  | 9300-34800+4200 | स्नातक  | -- | --                                      | 74 | 12 | 7  | 13 | 1  | -- | 107 |
| 12 | अधीक्षक                 | समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय)                 | 9300-34800+4200 | स्नातक  | -- | --                                      | 4  | -- | 1  | 2  | -- | -- | 7   |
| 13 | उपाधीक्षक               | समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय)                 | 9300-34800+4200 | स्नातक  | -- | --                                      | 1  | -- | -- | -- | -- | -- | 1   |
| 14 | उर्दू अनुवादक           | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय)                | 5200-20200+2800 | बी०ए० की डिग्री मुख्य उर्दू के साथ हिन्दी की अच्छी जानकारी या समकक्ष  | -- | --                                      | 23 | 6  | 8  | 15 | 1  | 2  | 55  |
| 15 | अंकक्षक                 | वित्त (अंकक्षण) विभाग                                    | 5200-20200+2800 | स्नातक कला, गणित के साथ/स्नातक विज्ञान, गणित के साथ/स्नातक वाणिज्य    | -- | --                                      | 65 | 16 | 23 | 21 | 1  | 4  | 130 |

|    |   |   |                                |  |    |    |     |    |     |     |    |    |     |
|----|---|---|--------------------------------|--|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|
| 16 | प्रखंड<br>पंचायती<br>राज<br>पदाधिकारी           | पंचायती<br>राज विभाग  | 5000-150-8000<br>(अपुनरीक्षित) | स्नातक   | -- | -- | 25  | 6  | 10  | 8   | -- | 1  | 50  |
| 17 | लेखापाल<br>सह<br>भण्डारपाल                      | समाज<br>कल्याण<br>विभाग<br>(समाज<br>कल्याण<br>निदेशालय)       | 5200-20200+2400                | स्नातक   | -- | -- | 13  | 3  | 4   | 3   | 1  | -- | 24  |
| 18 | गृहपति<br>(महिला)<br>सिर्फ<br>महिला<br>अभ्यर्थी | समाज<br>कल्याण<br>विभाग<br>(समाज<br>कल्याण<br>निदेशालय)       | 5200-20200+2400                | स्नातक   | -- | -- | 2   | -- | 1   | --  | -- | -- | 3   |
| 19 | गृहपति-<br>सह-<br>लिपिक                         | समाज<br>कल्याण<br>विभाग<br>(समाज<br>कल्याण<br>निदेशालय)       | 5200-20200+2400                | स्नातक   | -- | -- | 39  | 9  | 13  | 12  | 1  | 3  | 77  |
| 20 | निरीक्षक<br>माप एवं<br>तौल                      | कृषि<br>विभाग<br>(कृषि<br>निदेशालय)                           | 5000-8000<br>(अपुनरीक्षित)     | B.SC/B.SC<br>(Agri.)/(Engg<br>(Math/Stat)<br>के साथ  | -- | -- | 12  | 3  | 4   | 4   | -- | 1  | 24  |
| 21 | सहकारिता<br>प्रसार<br>पदाधिकारी                 | निबंधक<br>सहयोग<br>समितियाँ                                   | 9300-34800+4200                | स्नातक   | -- | -- | 297 | 48 | 125 | 105 | 0  | 22 | 597 |
| 22 | प्रखण्ड<br>कल्याण<br>पदाधिकारी                  | अनुसूचित<br>जाति एवं<br>अनुसूचित<br>जनजाति<br>कल्याण<br>विभाग | 9300-34800+4200                | कला, विज्ञान<br>या वाणिज्य में<br>स्नातक   | -- | -- | 64  | 17 | 29  | 26  | 02 | 05 | 143 |
| 23 | उद्योग<br>विस्तार<br>पदाधिकारी                  | उद्योग<br>विभाग   | 9300-34800+4200                | स्नातक<br>(वाणिज्य/अर्थ<br>शास्त्र/गणित/<br>सांख्यिकी) इन<br>में से किसी<br>एक विषय में<br>न्यूनतम<br>प्राप्तांक 45<br>प्रतिशत अंक<br>के साथ<br>स्नातक | -- | -- | 35  | 08 | 13  | 11  | 01 | 02 | 70  |
| 24 | कनीय<br>सांख्यिकी<br>सहायक                      | उद्योग<br>विभाग   | 9300-34800+4200                | स्नातक<br>(वाणिज्य/अर्थ<br>शास्त्र/गणित/<br>सांख्यिकी) इन<br>में से किसी<br>एक विषय में<br>न्यूनतम<br>प्राप्तांक 45<br>प्रतिशत अंक<br>के साथ<br>स्नातक | -- | -- | 02  | 00 | 01  | 01  | 00 | 00 | 04  |

|            |                            |  |                 |  |   |    |    |             |            |            |            |           |           |             |
|------------|----------------------------|--|-----------------|--|---|----|----|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 25         | सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी | पर्यटन विभाग   | 9300-34800+4200 | स्नातक तथा डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन (सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से) | 1. डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेन्ट/टूरिज्म/ट्रेवल ट्रेड या मास कम्प्यूनिकेशन (सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)<br>2. अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान । | -- | 04 | 02          | 02         | 02         | 00         | 00        | 10        |             |
| 26         | लेखापाल                    | मंत्रिमंडल सचिवालय (बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय) | 5200-20200+2800 | विज्ञान/वाणिज्य स्नातक   | कम्प्यूटर में डिप्लोमा ।  | -- | 01 | 00          | 00         | 00         | 00         | 00        | 01        |             |
| 27         | विपत्र लिपिक               | मंत्रिमंडल सचिवालय (बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय) | 5200-20200+2400 | विज्ञान/वाणिज्य स्नातक   | कम्प्यूटर में डिप्लोमा ।  | -- | 01 | 00          | 00         | 00         | 00         | 00        | 01        |             |
| <b>कुल</b> |                            |  |                 |  |   |    |    | <b>1000</b> | <b>215</b> | <b>383</b> | <b>344</b> | <b>17</b> | <b>64</b> | <b>2023</b> |

उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं, जो घट-बढ़ सकती हैं। प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल के प्रकाशन के पूर्व जिन अधिकाधिक विभागों के द्वारा दिनांक-31.03.2014 तक के लिए संशोधित रिक्तियाँ अथवा नयी रिक्तियाँ आयोग को संसूचित की जायेगी तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित कर लिया जायेगा। माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-12513/2014 में दिनांक-26.08.2014 में पारित आदेश के आलोक में सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के द्वारा प्रेषित अध्याचनाओं पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

#### उम्र सीमा-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) की संकल्प संख्या-2530, दिनांक-29.06.2010 के अनुसार उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2014 के आधार पर की जायेगी। परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक-01.08.2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस परीक्षा के पात्र होंगे।

न्यूनतम आयु- 21 (इक्कीस) वर्ष ।

**अधिकतम आयु-**(1) अनारक्षित (पुरुष)-37 वर्ष । (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)-40 वर्ष । (3) अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष ।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है । साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों का छूट अनुमान्य है ।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरपन) वर्ष से अधिक नहीं हो ।

**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-**

प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है । जिन अभ्यर्थियों का परीक्षाफल उक्त तिथि तक प्रकाशित नहीं हुआ हो, वे इस परीक्षा के लिए अयोग्य होंगे ।

**आरक्षण :-** उपर्युक्त सभी पदों के लिए ।

- (i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक- 11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है ।
- (ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र जिसमें क्रीमीलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा । ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु काउंसैलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । अभ्यर्थी आवेदन-पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे ।



- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा ।
- (iv) प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा । यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है, तो वह मान्य नहीं होगा ।
- (v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-62, दिनांक-05.01.2007 के प्रावधान के आलोक में मात्र श्रेणी-B के पदों में विकलांगों को 3% (1% दृष्टि निःशक्तता, 1% मूकबधिर निःशक्तता तथा 1% चलन निःशक्तता) आरक्षण देय है । यदि किसी रिक्ति के किसी उपर्युक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जायेगा तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगले वर्ष में अग्रणित की जायेगी ।

**परीक्षा शुल्क (प्रारंभिक परीक्षा) :-**

अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के लिए तीन सौ रूपये (300/-) का तथा मात्र वे उम्मीदवार जो बिहार के स्थायी निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के भी हैं, 75/- (पचहत्तर रूपये) परीक्षा शुल्क बैंक चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में जमा करेंगे । बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 300/- (तीन सौ रूपये) निर्धारित है । चालान जमा करने के संबंध में विस्तृत अनुदेश एवं चालान की प्रति आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर अभ्यर्थी उपयोग में लायेंगे । चालान तीन प्रतियों (Bank Copy, B.S.S.C. Copy तथा Depositor Copy) में है । अभ्यर्थी चालान की **B.S.S.C. Copy** अपने पास सुरक्षित रखेंगे तथा मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के पश्चात प्रमाण-पत्रों की जाँच के समय मांग किये जाने पर प्रस्तुत करेंगे । निर्धारित शुल्क का चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में दिनांक-02.09.2014 से 08.10.2014 तक बैंक के कार्यावधि में जमा किया जा सकेगा ।

**परीक्षा: उपर्युक्त सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा दो चरणों में ली जाएगी ।**

1. प्रारंभिक परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान (प्रारंभिक) का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे:-

- (क) सामान्य अध्ययन-प्रश्नों की संख्या-50 होगी ।
- (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित-प्रश्नों की संख्या-50 होगी ।
- (ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental Ability)- प्रश्नों की संख्या-50 होगी ।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे । प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी । परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट

की होगी । प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा । अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे ।

प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जायेगी । प्रत्येक खण्ड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी । हस्तलिखित/छाया प्रति ले जाने की अनुमति नहीं होगी । पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा ।

**सिलेबस:- प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है:-**

**खंड (क):- सामान्य अध्ययन:-** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा । वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है । इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

- (i) **सम-सामयिक विषय:-** वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं ।
- (ii) **भारत और उसके पड़ोसी देश:-** पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान ।

**खंड:-(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित:-** इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं :-

- (i) **सामान्य विज्ञान:-** भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल ।
- (ii) **गणित:-** संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि ।

**खंड:-(ग) मानसिक क्षमता जाँच:-** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या ।

अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है । विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जायेगी ।

प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध (अधियाचित) रिक्तियों के लगभग 05 गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जायेगा । मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन

प्रकाशित किया जायेगा । वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु 50 अंकों की साक्षात्कार का प्रावधान भी है ।

**अन्य:-**

- (i) वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा । प्रवेश-पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी । किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/ अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।
- (ii) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/ किसी राज्य लोक सेवा आयोग/ अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो ।
- (iii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

**महत्वपूर्ण:-** अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र की प्रविष्टियों को भरने से पूर्व पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा भरी गई प्रविष्टियाँ पूर्णतः सही हैं । बाद में किसी भी परिस्थिति में इसमें सुधार/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

**अंतिम तिथि :-**

ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01.09.2014 से 11.10.2014 की रात्रि 12 बजे (Server Time) तक आयोग के वेबसाईट <http://bssc.bih.nic.in> पर भरा जा सकता है ।

ह0/-

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।